आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची

एस०ए०आर० वाद सं० 81/23–24

राजकुमार पहान–बनाम–बुधन राम वैगरह

29.01.24

आदेश

अंचल अधिकारी, बड़गाई द्वारा आवेदक राजकुमार पहान पिता स्व० विश्राम पाहन ग्राम बडगाई, थाना सदर, जिला राँची को प्रथम पक्ष बनाते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71 ''ए०'' के अन्तर्गत भूमि वापसी हेतु दायर आवेदन के आलोक में यह मुकदमा आरम्भ किया गया।

आवेदक राजकुमार पहान द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में मौजा बडगाई, थाना सं० 184, जिला राँची के खाता सं० 210, 221, 223, 234 एवं 235 के बावत कायम सभी जमाबंदियों को नियम संगत नहीं पाते हुए अंचलाधिकारी, बड़गाई के द्वारा विविध वाद सं० 01/2023–24 की कार्रवाई आरम्भ की गई।

उक्त विविध वाद सं० 01/2023–24 मे अंचल अधिकारी बड़गाई राँची के पत्रांक–01(i) दिनांक–11.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन जो राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है के प्रतिवेदनानुसार आवेदक राज कुमार पाहन, पिता स्व० विश्राम पाहन आर० एस० खतियान में मौजा बड़गाई, थाना नं0 184, खाता संख्या 210 वकास्त भुंइहरी पहनई एवं खाता संख्या 221 गैर मजरूआ, भुंइहरी पहनई खेवट संख्या 10/1 नाम लगान पाने वाला बुधु पाहन वगैरह वो खाता संख्या 223 बकास्त भुंइहरी पहनई खेवट संख्या 10/2 नाम लगान पाने वाला रामधन पाहन वो खाता संख्या 234 वकास्त भुंइहरी पहनई खेवट संख्या 10/11 नाम लगान पानेवाला बलका पाहन एवं खाता संख्या 235 वकास्त भुंइहरी पहनई खेवट संख्या 10/12 नाम लगान पाने वाला सहदेव पाहन ऑनलाईन आर०एस० खतियान में दर्ज है। स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि प्लॉट संख्या–987, 988, 989, 990, 992, 996 पत्थर के एक चारदिवारी के अन्दर है। वहाँ पर संतोष पाहन, पिता– डिबरू पाहन, पत्नी एवं बच्चों के साथ पाँच–छः वर्षो से

Mi- 29/1/24

निवास कर रहे है एवं एक पक्का गोदाम है। प्लॉट संख्या–980 में तीन मकान सावित्री होम मक्खन पहान का मकान एवं एक अज्ञात मकान है। प्लॉट संख्या–2611 में फाइरिंग रेंज का अंश भाग, एक पूराना चारदिवारी एवं एक मकान बना हुआ है। प्लॉट संख्या–2614 में दो फ्लैट बना हुआ है। प्लॉट संख्या–2736 में प्रणय देव झा का मकान साई आस्था अपार्टमेंट एवं एक मकान महल रेसीडेंसी है। प्लॉट संख्या–2734 में स्वर्णरेखा संस्थान है। प्लॉट संख्या–2735 में महल रेसीडेंसी का अंश भाग है। ऑनलाईन पंजी ।। के उक्त खाता की जमाबंदी (1) बुधन राम वो जगेश्वर राम वो रामेश्वर राम वो भुनेश्वर राम वो धनेश्वर राम, पिता जगन्नाथ राम वो राम प्रसाद राम वो श्याम लाल राम वो नथुनी राम पिता शुकर राम (2) वाणीर्वत राम, पिता–यामिनी राम वो नारायण चौधरी, पिता–स्व० बाबुराम चौधरी, (3) शशिभूषण सिंह, पिता–सुमन कुमार सिंह (4) भवानी शंकर लाल, पिता–गौरी शंकर लाल (5) जे०के० सवासटीन (6) कुश कुमार भगत वो विष्णु कुमार भगत पिता रामशरण भगत (7) नील रतन राय, पिता–पीरथी नाथ राय (8) महेश्वर दास गुप्ता, पिता–निरंजन दास गुप्ता (9) जगदीश राम वो बदरी राम वो भरत राम पिता रामसेवक राम (10) सुभाष कुमार मुखर्जी, पिता–भूपति भूषण मुखर्जी (11) सुमन सिन्हा, पति–कमलेश प्रसाद सिन्हा (12) सुधीर कुमार जयसवाल, पिता–अर्जुन प्रसाद जयसवाल (13) अनिल कुमार जयसवाल, पिता–अर्जुन प्रसाद जयसवाल (14) उमा शंकर जयसवाल, पिता–राजा प्रसाद जयसवाल (15) डा० कलाधर नारायण झा, पिता–रजगधर झा (16) प्रसाद कुमार नावालिक, पिता–कलन्धर नारायण झा (17) मोती साहु पिता–राम सिंहासन साहु, सभी निवासी ग्राम–बड़गाई, C/o श्री अशोक जयसवाल, पता–इन्द्रपुरी रोड नं०1, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची के नाम से कायम है।

अंचलाधिकारी बडगाई के द्वारा उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के उपरान्त द्वितीय पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने हेतु समय की माँग की गई, परन्तु प्रर्याप्त समय प्रदान किये जाने के पश्चात् भी द्वितीय पक्ष से किसी व्यक्ति के द्वारा उपस्थिती नहीं दी गई। उनके अनुपस्थित रहने के कारण दैनिक समाचार पत्र, प्रभात खबर मे नोटिस भी प्रकाशित किया गया, परन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई।

प्रश्नगत भुमि बकास्त भुइहरी पहनई एवं गैर मजरूआ भुईहरी पहनई प्रकृति की है। बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 2Q(3) के

M.— 29/1/24

Tenure के परिभाषा मे उलेखित है कि Tenure means a share in or of a tenure but does not include Mundari Khunt Kattidari Tenancy within the meaning of the Chotta Nagpur Tenancy Act 1908 (Bengal Act 6 of 1908) or a Bhuinhari tenure prepared and confirmed under the Chotta Nagpur Tenure Act 1869 (Bengal Act 2 of 1869) , एवं उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सरकार मे निहित नहीं हुआ है। प्रश्नगत भूमि झारखण्ड सरकार में निहित नहीं है उसकी जमाबंदी पंजी ।। मे कायम होना नियमसंगत नहीं पाते हुए अंचल अधिकारी ने विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी को निरस्त करते हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार को अग्रसारित किया। उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची ने अंचल अधिकारी के द्वारा किये गये उक्त अनुशंसा के आलोक अभिलेख दिनांक 03.01.2024 को पारित आदेश के द्वारा अपने अनुशंसा के साथ अभिलेख अपर समाहर्त्ता, राँची को अग्रसारित किया। अपर समाहर्त्ता, राँची के द्वारा उपरोक्त मामले को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 का उल्लंघन पाते हुए पत्रांक 67 दिनांक 06.01.2024 के द्वारा धारा 71ए० छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया, जिसके आलोक मे अंचल अधिकारी, बडगाई ने पत्रांक 39 दिनांक 08.01.2024 के द्वारा अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु अधोहस्तक्षरी के न्यायालय को अग्रसारित कर दिया, जिसके आलोक मे प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आरम्भ की गई है।

प्रस्तुत वाद के संधारण के उपरान्त प्रथम पक्ष द्वारा इस वाद मे उपस्थित होकर आरोप लगाया गया है कि उनकी जमीन को द्वितीय पक्षगण हड़प लिये है, जिसका पूर्ण विवरण निम्नलिखित है:–

1. बुधन राम वो जगेश्वर राम वो रामेश्वर राम वो भुनेश्वर राम वो घनेश्वर राम पे० जगरनाथ राम वो राम प्रसाद राम वो श्यामलाल राम वो नथुनी राम पे० शुकर राम

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
210	980	47 डी0
	988	2.06 ए०
	990	48 डी0

2. वाणीर्वत राम पिता– यामिनी राम वो नारायाण चौधरी पिता स्व० बाबु राम चौधरी

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
210	980	42 डी0

M– 29/1/24

3. शशी भूषण सिंह पिता सुमन कुमार सिंह

खाता नं०

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
210	988	84 छटाक

4. भावानी शंकर लाल पिता गौरी शंकर लाल

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
210	988	42 डी0

5. जे०के० सवासटीन

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
221	2734	2.25 डी0
	2735	
	2736	

6. कुश कुमार भगत वो विष्णु कुमार भगत पे० स्व० रामशरण भगत

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
221	987	80 डी0

7. नील रतन राय पिता पीरथी नाथ राय

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
223	992	10 डी0

8. महेश्वर दास गुप्ता, पिता निरंजन दास गुप्ता

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
223	992	16.5 कट्ठा

9. जगदीश राम वो बदरी राम वो भरत राम पे० रामसेवक राम

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
234	989	12 डी0
	996	5 डी0

10. सुभाष कुमार मुखर्जी पिता भूपति भूषण मुखर्जी

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
234	2611	26.5 डी0
235	2614	

11. सुमन सिंहा पति कमलेश प्रसाद सिंहा

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
234	2614	6 कट्ठा

12. सुधीर कुमार जयसवाल पिता– अर्जुन प्रसाद जयसवाल

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
234	989	23 कट्ठा

13. अनिल कुमार जयसवाल पिता– अर्जुन प्रसाद जयसवाल

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
234	989	23 डी0

14. उमा शंकर जयसवाल पिता– राजा प्रसाद जयसवाल

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
234	996	17 कट्ठा

15. डा0 कलाधर नारायण झा, पिता– रजगधर झा

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
234	2614	6 कट्ठा

16. प्रसाव कुमार नावालिक पिता– कलन्धर नारायण झा

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
234	2614 2611	3.75 कट्ठा

17. मोती साहु पिता– राम सिंहासन साहु

खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
223	992	20 कट्ठा

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान में मौजा–बड़ागाई, थाना नं०–184 खाता नं०–210 बकास्त भुईहरी पहनई वो खाता नं०–221 गैर मजरूआ भुईहरी पहनई खेवट नं०–10/1 नाम लगान पाने वाला वथ पाहन वगैरह वो खाता नं०–223 बकास्त भुईहरी पहनई खेवट नं०–10/5 नाम लगान पाने वाला लोचा पाहन वो खाता नं०–234 नाम लगान पाने वाला बलका पाहन खेवट नं०–10/11 के नाम दर्ज है। प्रथम पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्षगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्ष को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए द्वितीय को नोटिस निर्गत किया गया।

द्वितीय पक्षगण को नोटिस निर्गत किया गया परंतु वे निर्धारित तिथि को न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। अतः पुनः अखबार के माध्यम से नोटिस प्रकाशित किया गया, तथा पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किया। अतः द्वितीय पक्ष के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया।

अंचल अधिकारी, बड़गाई से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में बकास्त भुइहरी पहनई एवं गैर

29/1/24

मजरूआ भुईहरी पहनई प्रकृति की है, जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 2Q(3) के Tenure के परिभाषा मे उलेखित है कि Tenure means a share in or of a tenure but does not include Mundari Khunt Kattidari Tenancy within the meaning of the Chotta Nagpur Tenancy Act 1908 (Bengal Act 6 of 1908) or a Bhuinhari tenure prepared and confirmed under the Chotta Nagpur Tenure Act 1869 (Bengal Act 2 of 1869) , एवं उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सरकार में निहित नहीं हुआ है। प्रश्नगत भूमि झारखण्ड सरकार में निहित नहीं है उसकी जमाबंदी पंजी ।। में कायम होना नियमसंगत नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों में वर्णित भूमि से संबंधित अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की प्रकृति बकास्त भुइहरी पहनई एवं गैर मजरूआ भुईहरी पहनई प्रकृति है तथा प्रथम पक्ष खतियानी भू धारक/भुईहरदार के वंशज है। प्रश्नगत सम्पत्ति का अंतरण द्वितीय पक्षगण द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46/48 मे वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन कर किया गया प्रतित होता है तथा पंजी ।। में उक्त भूमि का जमाबंदी कायम होना नियमसंगत नहीं है। द्वितीय पक्षगण को पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और अपने बचाव में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71ए० के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन से द्वितीय पक्षगण को बेदखल करते हुए प्रश्नगत जमीन को प्रथम पक्ष एवं उनके वैध उतराधिकारी/वंशजों को वापस किया जाता है, तथा द्वितीय पक्षगण को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो उसे यथाशीघ्र हटा लें ।

अंचल अधिकारी, बड़गाई, को दखल देहानी एवं तदनुसार पंजी ।। में अपेक्षित सुधार करने हेतु आवश्यक आदेश निर्गत करें। साथ ही दखल–देहानी प्रतिवेदन की माँग करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.02.08 15:01:45 +05:30
Location: 192.168.166.39

विशेष विनियमन पदाधिकारी
राँची

29/01/24
विशेष विनियमन पदाधिकारी
राँची

ज्ञापांक - 23(ii) दिनांक - 29/01/2024
अंचल अधिकारी बड़गाई को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
29/01/24
विशेष विनियमन पदाधिकारी
राँची।